



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

UTTARAKHAND AYURVEDA UNIVERSITY

(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय; विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1988 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त;
भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

(An Autonomous body of Uttarakhand Government; registered u/s 2(f) of UGC Act, 1956; Member of AIU)

रेलवे रोड़, हरवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) – 248001 Railway Road, Harrawala, Dehradun (UK) - 248001

Phone : +91-135-2685993; Fax : +91-135-2685124; Email : uttarakhandayurved@gmail.com; Website : www.uau.ac.in

संख्या : 2238

दिनांक : 24.11.2025

स्ट्रै वेकेन्सी चरण विज्ञापित

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में स्नातक हेतु नीट यू0जी0-2025 की मेरिट के आधार पर शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए बी0ए0एम0एस0 / बी0यू0एम0एस0 / बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय परिसरों में राजकीय कोटे एवं निजी क्षेत्र में स्थापित कॉलेजों की सीटों पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से केन्द्रीकृत काउंसिलिंग (**Centralized Counselling**) कर विभिन्न काउंसिलिंग चरणों के माध्यम से सीट आवंटन की कार्यवाही सम्पादित की जानी है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं मॉप-अप चरण काउंसिलिंग की रिक्त सीटों को **स्ट्रै वेकेन्सी चरण** की काउंसिलिंग से भरे जाने हेतु निम्नतिथियों का निर्धारण किया जाता है:-

स्ट्रै वेकेन्सी चरण की यू0ए0यू0सी0 यू0जी0- 2025 काउंसिलिंग हेतु समय सारणी:-

Stray Vacancy Round	
Online Registration & Fresh Registration and Fee Submission	25.11.2025 (after 02PM) to 27.11.2025
Display of Merit /Physical Reporting in Uttarakhand Ayurved University and allotment of seats by Counseling Board.	28.11.2025
Last date of joining the allotted college	29.11.2025 to 30.11.2025

1- आयुष स्नातक पाठ्यक्रम (बी0ए0एम0एस0 / बी0एच0एम0एस0 / बी0यू0एम0एस0) की स्ट्रै वेकेन्सी चरण काउंसिलिंग में सम्मिलित होने हेतु नियम/ शर्तों:-

- नीट- 2025 में अर्ह अभ्यर्थी जो प्रथम बार पंजीकरण कर रहे हों।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण एवं मॉप-अप काउंसिलिंग में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई हों।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण एवं मॉप-अप काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण ना की गयी हो और **स्ट्रै वेकेन्सी** चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो। तो वे नियमानुसार प्रतिभाग कर सकते हैं।